राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5893/2022

रणजीत सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. उपनिदेशक कार्मिक (एच.आर.डी.) कार्यालय मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर।
2. सहायक अभियंता (132 के.वी.जी.एस.एस.) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, नीमकाथाना, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.11.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सीताराम सामोता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता 132 के.वी.जी.एस.एस. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड नीम का थाना जिला सीकर में एस. एस.ए–II के पद पर कार्यरत था। उपनिदेशक कार्मिक (एच.आर.डी.) मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम विद्युत भवन ज्योति नगर, जयपुर के आदेश क्रमाक आर.वी.पी.एन./कार्मिक पी.2(1) 2,ए./डी. 458 जयपुर दिनांक 04.11.2022 को सहायक अभियंता 132 के.वी.जी.एस. एस. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड नीम का थाना, जिला सीकर से अधीक्षण अभियंता (220 के.वी.जी.एस.एस.) नागौर में स्वयं का अनुरोध का रिमार्क दर्शाते हुए स्थानान्तरण किया गया है।
3. यह है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकम्पा के तहत हुई है तथा अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है तथा का स्थानांतरण कारण स्वयं का अनुरोध का रिमार्क दर्शाया है,

जबकि अपीलार्थी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत लम्बित है। केवल राजनैतिक द्वैषता के कारण वर्तमान कार्यस्थल से 250 कि.मी. नागौर जिले के अन्तर्गत किया गया है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई टी.ए. डी.ए. नहीं दिया गया है तथा वर्तमान में सहायक अभियंता नीम का थाना, जिला सीकर के अर्न्तगत पद रिक्त है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण कर दिया गया। अपीलार्थी की विधवा माता बीमार है। परिवार में अन्य कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन अवैध मनमान दुर्भावना पूर्वक एवं शक्तियों के दुरपयोग से ग्रसित होकर पारित किया गया है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भी पदस्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में पदस्थापन कार्यालय में आज भी पद रिक्त है। अतः अपीलार्थी का स्थानांतरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये स्वयं अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी रिक्त स्थान दर्शाते हुए 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)